प्ररूप-दस FORM-X (नियम 10 (3) देखिये) [See rule 10(3)]

रिजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र CERTIFICATE OF REGISTRATION

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 32 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्

Madhya Pradesh State Veterinary Council established under Section 32 of the Indian Verterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984)



schen

anose

50% «

Moof.

has ic

BUTE

TOPA

Calm t

AND PARK

he con-

have t

caire -

1

SPACE!

CVA AND E

hous

* MILLY

Lington

15,00

allows

THE SETTING

care to

DUTUM

BOOKE

LTIE S

antilla

as pic

Under

stour-

.vardin

C. Sya

संख्याक / No. MPSVC/ .2.7.0.7.../2010

तारीख/ Date:.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि डाक्टर शिर्मिया शिक्स व्यवसायी के रूप में सम्यक् रूप से रिजस्ट्रीकृत किये गये है और वे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन ऐसे व्यवसायियों को प्रदान किए गए समस्त विशेषाधिकारों के हकदार है । उक्त अधिनियम के अधीन यह रिजस्ट्रीकरण मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में कियागयाहै।

इसके साक्ष्य स्वरूप मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की मुद्रा लगा दी गई है और उक्त राज्य परिषद् के रिजस्ट्रार ने हस्ताक्षर कर दिये है।

This is to certify that Dr. ..GIRRAJ SHAKYA

Resident of ...MORENA (MADHYA PRADESH)

has been duly registered as a Registered Veterinary Practitioner and is entitled to all the privileges granted to such practitioner's under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984).

This registration has been effected with the Madhya Pradesh State Veterinary Council, under the said Act.

In witess where of are herewith affixed the seal of the Madhya Pradesh State Veterinary Council and Signature of the Registrar of the said State Council.



रिजिस्ट्रार के हस्ताक्षर/ Signature of Registrar

(यह प्रमाण-पत्र भारतीय पश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का स. 52) के अधीन स्थापित की गई मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की संपत्ति है और वर्णित रिजस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा संबंधी व्यवसायी को मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1993 के नियम 10(3) के अधीन जारी किया जाता है।)

(This certificate is the property of the Madhya Pradesh State Veterinary Council, established under the Indian Veterinary Council Act, 1984, (No.52 of 1984) and is issued to the Registered Veterinary practitioner mentioned above under rule 10(3) of the Madhya Pradesh State Veterinary Council rules, 1993.)